न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 66/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

हीरो हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड 09, कम्यूनिटी सेन्टर, बसंत लोक बसंत विहार, नई दिल्ली–110057 जरिये प्राधिकृत अधिकारी **श्री धीरेन्द्र सिंह**

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **संदीप कुमार शर्मा पुत्र सज्जन कुमार शर्मा**
   प्रथम पताः– प्लॉट/पट्टा नम्बर 33 बुक नम्बर 33 वार्ड नम्बर 8 ग्राम दांता तहसील दांतारामगढ़ सीकर राज.
   द्वितीय पताः– वार्ड नम्बर 8 नाईयों का मोहल्ला दांता सीकर
   तृतीय पताः– कसेरों का मोहल्ला खण्डेला रोड़ वार्ड नम्बर 14 श्रीमाधोपुर सीकर
   चतुर्थ पताः– श्री महावीर गोटा स्टोर शॉप नम्बर 02 गंगा माता मंदिर बस स्टेण्ड दांतारामगढ़ सीकर
2. **मीना देवी पत्नि सज्जन कुमार शर्मा**
   प्रथम पताः– प्लॉट/पट्टा नम्बर 33 बुक नम्बर 33 वार्ड नम्बर 8 ग्राम दांता तहसील दांतारामगढ़ सीकर राज.
   द्वितीय पताः– वार्ड नम्बर 9 दांता दांतारामगढ़ सीकर
   तृतीय पताः– कसेरों का मोहल्ला खण्डेला रोड़ वार्ड नम्बर 14 श्रीमाधोपुर सीकर
3. **सज्जन कुमार शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद**
   प्रथम पताः– प्लॉट/पट्टा नम्बर 33 बुक नम्बर 33 वार्ड नम्बर 8 ग्राम दांता तहसील दांतारामगढ़ सीकर राज.
   द्वितीय पताः– वार्ड नम्बर 9 दांता दांतारामगढ़ सीकर
   तृतीय पताः– कसेरों का मोहल्ला खण्डेला रोड़ वार्ड नम्बर 14 श्रीमाधोपुर सीकर
   चतुर्थ पताः– श्री महावीर गोटा स्टोर जीणमाता मंदिर बस स्टेण्ड दांता दांतारामगढ़ सीकर

– अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 27 अप्रैल, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री दिनेश कुमार सैनी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **संदीप कुमार शर्मा पुत्र सज्जन कुमार शर्मा, मीना देवी पत्नि सज्जन कुमार शर्मा** एवं **सज्जन कुमार शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगणों के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति **पट्टा नम्बर 33 बुक नम्बर 33 न्यू वार्ड नम्बर 9 (ओल्ड वार्ड नम्बर 8) ग्राम दांता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 146.77 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं–उत्तर दिशा में हनुमान प्रसाद जांगिड की सम्पति, दक्षिण दिशा में आम रास्ता, पूरब दिशा में 9 फीट रोड़ एवं पश्चिम दिशा में रामेश्वर लाल व अन्य का घर स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹34,00,000/– रूपये (अक्षरे रूपये चौतीस लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **28.10.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **28.10.2025** को धारा 13(2) के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **संदीप कुमार शर्मा पुत्र सज्जन कुमार शर्मा, मीना देवी पत्नि सज्जन कुमार शर्मा** एवं **सज्जन कुमार शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगणों के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति **पट्टा नम्बर 33 बुक नम्बर 33 न्यू वार्ड नम्बर 9 (ओल्ड वार्ड नम्बर 8) ग्राम दांता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 146.77 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं–उत्तर दिशा में हनुमान प्रसाद जांगिड की सम्पति, दक्षिण दिशा में आम रास्ता, पूरब दिशा में 9 फीट रोड़ एवं पश्चिम दिशा में रामेश्वर लाल व अन्य का घर स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **27 अप्रैल, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर